

फर्द अहकाम

बनाम श्री सा

नाम न्यायालय

शिवका

केस संख्या

65/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p><u>प्रतिवादी सं० २</u> <u>Ramesh</u> <u>(सहायक कलक्टर)</u> <u>20/12/23</u></p> <p><u>26/12/23</u> <u>(वादी अधिवक्ता)</u></p>	<p><u>26/12/23</u></p>	<p>पञ्जावली वेष्टिंग इ.सी. प्रा. लि. द्वारा वादी के प्रतिवादी सं० २ उपस्थित प्रतिवादी सं० १ की ओर से कोई उपस्थित नहीं करील वादी व प्रतिवादी सं० २ ने वेस्टिंग को प्रभावित कुरैजात रिपोर्ट के रूप से जिला सिपाई का विवेक विवेक कुरैजात रिपोर्ट अर्थात् प्रतिवादी वादी द्वारा दिनांक 25/12/23 को फर्द ही <u>Mukherjee</u> सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</p>
	<p><u>25/12/2023</u></p>	<p>पञ्जावली वादी द्वारा हेतु प्रस्तुत इ.सी. वादी का वेस्टिंग कुरैजात रिपोर्ट उचित रूप से जिला सिपाई का प्रकरण सं० 63/2022 की कुरैजात रिपोर्ट की उम्मा प्रकरण के साथ रिपोर्ट गठित है। उम्मा प्रकरण का विस्तारण एक साथ प्रभावित कुरैजात रिपोर्ट विवेक जाता है विस्तृत विवेक पुस्तक से लिखवाया जाकर शामिल पञ्जावली सिपाई पञ्जावली के साथ उम्मा प्रकरण से एक ही वेस्टिंग दाखिल <u>फर्द ही Mukherjee</u> सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</p>



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुक्ता राव, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 63/2022 व 65/2022

निर्णय दिनांक : 27.12.2023

रुकमा देवी पत्नी रामनारायण, जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।
-वादीया


बनाम

1. कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू, जरिये नाबालिक संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा, जाति-मीणा, निवासी-ग्राम चिताणुकला, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. कालूराम पुत्र मांगी लाल जाति मीणा ग्राम अकेडा डुगर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर।
4. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम चिताणुकला, पटवार हल्का चिताणुकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नई खाता संख्या 171 व पुरानी खाता संख्या 129 की आराजी खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि तथा इसी प्रकार नई खाता संख्या 172 व पुरानी खाता संख्या 130 की आराजी खसरा नम्बर 870/2308 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि इस वाद मे वादग्रस्त कृषि भूमि है। वादपत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित नई खाता संख्या 171 व पुरानी खाता संख्या 129 की आराजी भूमि मे वादिया का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है तथा इसी प्रकार नई खाता संख्या 172 व पुरानी खाता संख्या 130 की आराजी भूमि मे वादिया का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है। वाद पत्र की मद संख्या 1 मे उल्लेखित आराजी कृषि भूमि बाबत वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा हो रखा है जिस बाहमी बटवारे के अनुसार वादिया व प्रतिवादी संख्या-1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादग्रस्त आराजियात मे बाहमी बटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से मे आयी कृषि भूमि पर अनुसूचित कानूनन विधि अनुसार पक्षकारो के मध्य हुये बाहमी बटवारे के अनुसार पक्षकारो के मध्य वर्णित भूमि का कानूनन विधि अनुसार पक्षकारो के मध्य हुये बाहमी बटवारे के अनुसार पक्षकारो के मध्य विभाजन नही हुआ तथा पक्षकारगण उक्त वादग्रस्त आराजियात पर बाहमी बटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में वाद पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि जयपुर शहर के निकट होने के कारण उक्त विवादग्रस्त भूमि के भावो मे तीव्र बढ़ोतरी हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकासमा कराये विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचने पर आमदा हो रहे है तथा प्रतिवादी संख्या-1 वादग्रस्त भूमि में वादिया के हिस्से में आई बहामी बटवारे के अनुसार कब्जे की भूमि में से मौके पर पेड काटने पर उतारू हो रहा है किन्तु उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि वादिया व प्रतिवादी 1 की अविभाजित भूमि सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसका वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा हो रखा है, जिसके अनुसार वादिया व प्रतिवादी संख्या-1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं तथा वादिया का कब्जे काश्त के अनुसार कानूनन विधि अनुसार विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक है। दिनांक 18-07-2022 को प्रतिवादी संख्या 1 पाँच-सात दीगर व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और विवादग्रस्त कृषि भूमि वादिया की बाहमी बटवारे के अनुसार आयी कब्जे काश्त की भूमि को दिखाने लगे वादिया द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हम उक्त विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू-भाग के रूप में उक्त दीगर व्यक्तियों को बेचेंगे व वादिया की कब्जे काश्त की भूमि से पेडो की कटाई करेंगे। जिस पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि अभी विवादग्रस्त भूमि का कानूनन विभाजन नही हुआ है तथा उक्त भूमि तो बाहमी बटवारे के अनुसार मेरे हिस्से मे आयी है इस कारण आप भूमि का बेचान नही कर सकते है और ना ही मेरे हिस्से में आई भूमि से पेडो की कटाई कर सकते हो, पहले भूमि का विभाजन करवा लो उसके बाद भूमि का बेचान कर देना। उक्त बात को सुनकर प्रतिवादी संख्या



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

1 व उनके साथ आये पाँच-सात दीगर व्यक्ति वादिया को धमकाने लगे की हम तो उक्त विवादग्रस्त भूमि का दीगर व्यक्तियों को बेचान करेंगे और पेड़ काटकर रहेंगे और विवादग्रस्त भूमि पर प्लाटो का निर्माण करेंगे तुम्हें जो करना हो सो कर लो उक्त प्रतिवादी संख्या 1 की धमकी के कारण उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ है। ऐसे में वादिया को यह अधिकार हासिल है कि वह मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित नई खाता संख्या 171 व पुरानी खाता संख्या 129 की आराजी खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि तथा इसी प्रकार नई खाता संख्या 172 व पुरानी खाता संख्या 130 की आराजी खसरा नम्बर 870/2308 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें प्रत्येक खाते में वादिया का 2/3, 2/3 हिस्सा निहित हैं का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि का अलग पर्चा जारी करावे व प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का बिना विभाजन कराये बेचान व हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश व किसी प्रकार से अन्तरित ना करे, ना ही विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान करे, ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करावे, ना ही पेड़ों की कटाई करें तथा ना ही वादिया को बाहमी बटवारे के अनुसार आई उसके कब्जे हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करे, तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 2 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करे तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 3 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का कोई विक्रय पत्र हस्तान्तरण पत्र तस्दीक करे, तथा ना ही उक्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, व वर्कमेन, कर्मचारी इत्यादि से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10.02.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्राथमिक डिक्री हेतु नियत किया गया। दिनांक 26.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस वकील वादी प्राथमिक डिक्री सुनी गई। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 20.07.2023 से पूर्व भिजवाई जावे। दिनांक 04.10.2023 को तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/2973 दिनांक 06.09.2023 को कुर्रैजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे वाद संख्या 65/2022 व 63/2022 की रिपोर्ट एक साथ भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी एवं पत्रावली वास्ते बहस कुर्रैजात हेतु नियत की गई। दिनांक 27.10.2023 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण संख्या 63/2022 को प्रकरण संख्या 65/2022 के साथ कंसोलिडेट कर निर्णय पारित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 26.12.2023 को प्रकरण में बहस कुर्रैजात सुनी गई। वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम चिताणुकला, पटवार हल्का चिताणुकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित वाद संख्या 63/2022 के नये खाता संख्या 171 व पुरानी खाता संख्या 129 की आराजी खसरा, नम्बर 1352 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि तथा नई खाता संख्या 172 व पुरानी खाता संख्या 130 की आराजी खसरा नम्बर 870/2308 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2400 कातकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
खाता सं 171	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू	1352	0.0800	चाही 1	
	संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा	832	0.0500	चाही 1	
	हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार,	833	0.5500	चाही 1	


सहायक कमिश्नर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

	रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 2/3 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	कुल किता 3	0.6800		
खाता सं 172	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार, रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 2/3 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	870/2308	0.0800	चाही 1	
		873	0.0600	चाही 1	
		993	0.1000	चाही 1	
		कुल किता 3	0.2400		
खाता सं 170	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार, कालूराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 250/2083 जाति मीणा निवासी ग्राम आकेडा डूंगर खातेदार, रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 3416/6249 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	445	1.2500	बारानी 1	

कुर्जेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार।	832	0.01		
		833	0.4733		
		873	0.0600		
		870/2308	0.0800		
		993	0.1		
	कुल किता 5	0.7233			
2	रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 2/3 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	445	1.10		
		832/1	0.04		
		833/1	0.0767		
		1352	0.0800		
	कुल किता 3	1.2967			
3	कालूराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 250/2083 जाति मीणा निवासी ग्राम आकेडा डूंगर खातेदार	445/1	0.15		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्जेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्जेजात रिपोर्ट मय नक्शों की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Mubtase

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास मुक्ता राव,
आर.ए.एस
वाद संख्या : 63/2022 व 65/2022
निर्णय दिनांक : 27.12.2023

रुकमा देवी पत्नी रामनारायण, जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।
-वादीया

बनाम

1. कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू जरिये नाबालिक संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा, जाति-मीणा, निवासी-ग्राम चिताणुकला, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. कालूराम पुत्र मांगी लाल जाति मीणा ग्राम अकेडा डुंगर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर।
4. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वाके ग्राम चिताणुकला, पटवार हल्का चिताणुकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित वाद संख्या 63/2022 के नये खाता संख्या 171 व पुरानी खाता संख्या 129 की आराजी खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि तथा नई खाता संख्या 172 व पुरानी खाता संख्या 130 की आराजी खसरा नम्बर 870/2308 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2400 का तकासमा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
खाता सं 171	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार, रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 2/3 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	1352	0.0800	चाही 1	
		832	0.0500	चाही 1	
		833	0.5500	चाही 1	
		कुल किता 3	0.6800		
खाता सं 172	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार, रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 2/3 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	870/2308	0.0800	चाही 1	
		873	0.0600	चाही 1	
		993	0.1000	चाही 1	
		कुल किता 3	0.2400		
खाता सं 170	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार, कालूराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 250/2083 जाति मीणा निवासी ग्राम आकेडा डुंगर खातेदार, रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 3416/6249 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	445	1.2500	बारानी 1	


Subst
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	नाबालिग कृष्ण भीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार।	832	0.01		
		833	0.4733		
		873	0.0600		
		870/2308	0.0800		
		993	0.1		
	कुल किता 5	0.7233			
2	रुकमा देवी पत्नी रामनारायण हिस्सा 2/3 जाति मीणा नि. ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।	445	1.10		
		832/1	0.04		
		833/1	0.0767		
		1352	0.0800		
	कुल किता 3	1.2967			
3	कालूराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 250/2083 जाति मीणा निवासी ग्राम आकेडा डूंगर खातेदार	445/1	0.15		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत 

ओहदा ~~सहायक कलक्टर~~ (फास्ट ट्रेक) आमेर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर